



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

G21
वन विभाग
उत्तराखण्ड

पत्रांक- 708 / 12-1 : देहरादून: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2023
सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय :- उत्तराखण्ड राज्य में जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड़ के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द धिल्डियाल की (किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 है० वन भूमि के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव संख्या- FP/UK/OTHERS/40044/2019)

संदर्भ :- आपका पत्रांक 313 / 12-1 दिनांक 25.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 14.03.2023 के अनुपालन में सूचना प्रेषित की गयी है। प्रेषित की गयी सूचना के बिन्दु संख्या 02, 03 व 06 के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्ताव में संलग्न विशेष सिफारिश में उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या 6371/14-2-576/74 दिनांक 20.06.1978 में वर्णित है कि यदि श्री धिल्डियाल, जिलाधिकारी नैनीताल एवं लोक निर्माण विभाग से पेट्रोल पम्प संचालन हेतु अनापत्ति पत्र प्राप्त कर लेते हैं तो कृषि सेवा केन्द्र के साथ-साथ पेट्रोल पम्प का संचालन किये जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त के सम्बन्ध स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है कि लीजधारक द्वारा शासन के उक्त आदेशों के क्रम में सम्बन्धित जिलाधिकारी व लो०नि०वि० से कृषि सेवा केन्द्र के साथ पेट्रोल पम्प संचालन किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं, यदि अनापत्ति प्राप्त नहीं की गयी है तो कृषि सेवा केन्द्र के स्थान पर पेट्रोल पम्प संचालन किन परिस्थितियों में किया जा रहा है स्थिति स्पष्ट करें।

अतः उपरोक्तानुसार आपके द्वारा प्रेषित में उल्लिखित बिन्दु संख्या 02, 03 व 06 के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 708 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण